

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबन्ध पत्र

(संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु ₹0—100/- के नाम जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक को (1) कु0 / श्रीमती / श्री जाति निवासी
ग्राम / मु0 तहसील जिला जिसे एतत्पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवं

(2) (संस्थाध्यक्ष) पता जनपद (जहाँ
छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे
एतत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है के मध्य निष्पादित किया जाता है।

चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति संबंधी योजना
संचालित है जिसकी पात्रता संबंधी शर्तें आदि उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना
(तृतीय संशोधन) नियमावली 2014 में उल्लिखित है। उक्त नियमावली के आलोक में दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार
करते हैं।

1. द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपने शैक्षिक संस्थान में निःशुल्क प्रदेश उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित¹
जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2014 के अनुपालन में देगा।
2. प्रथम पक्ष सन्दर्भित संस्था में निःशुल्क प्रवेश पाने पर निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण
भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र समस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्था में जमा करेगा एवं द्वितीय
पक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा।
3. द्वितीय पक्ष उपर्युक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु वांछित कार्यवाही
सम्पन्न करायेगा।
4. प्रथम पक्ष के बैंक खाते में नियमावली के अनुसार देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि
जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतम 15 दिन के अन्दर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति
की धनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित कर देगा।
5. प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन
करेगा।
6. प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों से छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी
हो, में प्रतिभाग करेगा।
7. उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक
नियमावली 2015 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में
द्वितीय पक्ष/संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पिता/पति का नाम.....
पता.....

साक्षी सं0—1

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पिता/पति का नाम.....
पता.....

द्वितीय पक्ष

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पिता/पति का नाम.....
पता.....

साक्षी सं0—2

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पिता/पति का नाम.....
पता.....

छात्र/छात्रा द्वारा देय घोषणा पत्र

(संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु रु०-१०/- के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

समक्षसंस्थाध्यक्ष

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....जो ग्राम.....मुहल्ला.....

जनपद.....का निवासी हूं निम्नलिखित बयान करता हूं-

1. यह कि मैं ग्राममुहल्ला.....तहसील.....जिला.....उत्तर प्रदेश को मूल निवासी हूं। (आय/जाति प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)
2. यह कि मैं उत्तर प्रदेश में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/जनजाति का हूं। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है)
3. यह कि मेरे माता—पिता, विधिक अभिभावक के समस्त स्रोतों से आय रूपया दो लाख या इससे कम है। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
4. यह कि सम्प्रति मैंशैक्षिक संस्थान केपाठ्यक्रम मेंवर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूं। संस्था.....विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
5. यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय/बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। (पंजीयन प्रमाणपत्र उपलब्ध होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूंगा।)
6. यह कि मैंने पिछली परीक्षावर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के सन्दर्भ में अलग से घोषणा पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है।
7. यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है।
8. यह कि मेरा बचत खाता संख्याबैंक.....केशाखा में खुला हुआ है।
9. यह कि उक्त संस्था द्वारा मुझे निःशुल्क/सःशुल्क प्रवेश दिया गया है।

उक्त घोषणा पत्र में बिन्दु संख्या 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है।

इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

दिनांक :

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

पता.....

सामान्य/अन्य पिछड़ा/अल्पसंख्यक वर्ग एवं अनुसूचित/जनजाति छात्र/छात्राओं
(Fresh/Renewal Student) के लिए

घोषणा पत्र (रु0 10/- के स्टाम्प पेपर पर)

मैं, पुत्र/पुत्री निवासी ग्राम

घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन किया है जिसके लिए मेरे माता पिता की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है। मेरे माता पिता की कुल वार्षिक आय रु है। मैंने

..... में पाठ्क्रम में प्रवेश लिया है। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों का विवरण सत्य एवं सही है। मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। उक्त विवरण में भी किसी भी प्रकार की त्रुटि / गलती पाई जाती है तो उसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा।

दिनांक—

घोषणाकर्ता

नाम:

पिता का नाम:

पता:

दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2016–17 उ0प्र0 में अध्ययनरत् सामान्य/अन्य
पिछड़ा/अल्पसंख्यक वर्ग एवं अनुसूचित/जनजाति वर्ग छात्र/छात्राओं
(Fresh Student) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फार्म

	जिला (जहाँ छात्र अध्ययनरत् हों)	:	
	शिक्षण संस्थान	:	
1.	रजिस्ट्रेशन संख्या	:	
2.	वर्ग/जाति समूह	:	
3.	छात्र/छात्रा का नाम	:	
4.	पिता/पति का नाम	:	
5.	माता का नाम	:	
6.	लिंग	:	
7.	जन्म तिथि	:	
8.	हाईस्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष	:	
9.	हाईस्कूल बोर्ड	:	
10.	हाईस्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक	:	
11.	मोबाइल एवं दूरभाष नं0	:	
12.	धर्म	:	
13.	ईमेल	:	
14.	आवासीय स्थाई पता *	:	
15.	पत्र व्यवहार का पता *	:	
16.	छात्र/छात्रा के परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय (रु0 में) *	:	
क	उपजाति	:	
17.	आय प्रमाण पत्र का क्रमांक *(तहसील से जारी)	:	
क	आय प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि	:	
18.	निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक	:	
19.	बैंक का नाम * (जहाँ छात्र/छात्रा का खाता है)	:	
20.	ब्रान्च का नाम *	:	
21.	आई0एफ0एस0कोड *	:	
22.	छात्र/छात्रा का बैंक खाता संख्या सं0	:	
क	छात्र/छात्रा का बैंक खाता सं0 पर अंकित नाम *	:	
23.	पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि *	:	
24.	पाठ्यक्रम का नाम *	:	
25.	पाठ्य क्रम का वर्ष *	:	
26.	पाठ्यक्रम की अवधि *	:	
27.	पाठ्यक्रम का प्रकार (नियमित/स्ववित्त पोषित)	:	
28.	विश्वविद्यालय/बोर्ड में पंजीयन क्रमांक	:	
29.	विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम	:	
30.	आवासीय/दिवा	:	पाठ्यक्रम में वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि

31	विकालांगता का प्रकार (यदि विकलांग हो)	
32	विकलांगता प्रतिशत	
33	विकलांगता भत्ता (रु0)	
34	अनुमोदित वार्षिक नान रिफण्डेबेल अनिवार्य शु0रु0	
35	गत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि यदि प्राप्त हो	
	(क) अनुसरण भत्ता (छात्रवृत्ति) (रु0)	
	(ख) शुल्क (रु0)	
36	गत वर्ष का पाठ्यक्रम	
37	गत वर्ष का परीक्षाफल पूर्णांक प्राप्तांक	
	क्या पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के आधार	(हां / नहीं)
	इण्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का परिणाम	
	इण्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का प्राप्तांक	
38	छात्र/छात्रा का पहचान पत्र संख्या	
39	पहचान पत्र का प्रकार	
40	छात्र द्वारा जमा किये गये शुल्क की रसीद संख्या	
41	दिनांक	
42	धनराशि (रु0)	

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग/जाति समूह के कालम नम्बर 40,41,42 को इण्टरी करना आवश्यक नहीं है।)

घोषणा पत्र

- मै एतदद्वारा घोषण करता/करती हूं कि उपरोक्त प्रविष्टियाँ/सूचनाएं सही हैं व मेरे द्वारा भरी गयी हैं। मुझे किसी अन्य स्रोत से दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है तथा में कहीं भी सेवारत नहीं हूं। यदि सेवारत हूं तो मेरी एवं मेरे माता-पिता अथवा संरक्षक कुल वार्षिक आय रु0 दो लाख से कम है। मैंने इस संस्था के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं प्रवेश नहीं लिया है। मैं संस्था के शैक्षिक निर्देशों एवं निर्धारित उपस्थिति का समुचित अनुपालन करूंगा।
- आवदेन पत्र में दी गयी कोई सूचना एवं संलग्न आय व जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य अभिलेख गलत पाये जाये तो छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस कर दूंगा/दूंगी। यदि ऐसा करने में मैं असफल होता हूं तो विभाग मुझे दी गयी उक्त धनराशि राजस्व देय की भाँति वसूली करने हेतु स्वतंत्र होगा।
- कोई अन्य अनियमितता पाये जाने पर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।

माता/पिता का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान.....छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर.....

..

नोट: पात्र अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त प्रपत्र पर सूचनाएं भर कर घोषणा पत्र व सभी संलग्नकों सहित आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि तक शिक्षण संस्थान में प्रस्तुत किया जायेगा। जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र पर शिक्षण संस्थान द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति (दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

श्री / श्रीमती / कृ०पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री

द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त करने हेतु जमा कराये गये आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेखोंकी मूल / स्व-प्रमाणित प्रतिया प्राप्त की । (शैक्षणिक संस्था के कार्यालय द्वारा जॉच का टिक () अंकित किया जाय

1. घोषणा पत्र /अनुबंध पत्र व डेविट आधारिटी की मूल प्रतिया ।
2. निवास के प्रमाण स्वरूप जाति प्रमाण पत्र/आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति ।
3. आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति ।
4. जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति ।
5. विगत वर्ष प्राप्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का प्रमाण ।
6. संस्थान में जमा की गयी शुल्क के प्रमाण स्वरूप रसीद की छाया प्रति ।
7. हाई स्कूल सर्टीफिकेट की प्रमाणित प्रति ।
8. पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र

1.
2.

(प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्था के अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर)

नाम:.....
पदनाम:.....
दिनांक:.....

दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2016–17 उ0प्र0 में अध्ययनरत् सामान्य/अन्य पिछड़ा/अल्पसंख्यक वर्ग एवं अनुसूचित/जनजाति वर्ग छात्र/छात्राओं (**Renewal Student**) के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप

जिला (जहाँ छात्र अध्ययनरत् हों)	:
शिक्षण संस्थान	:
रजिस्ट्रेशन संख्या	:
वर्ग/जाति समूह	:
छात्र/छात्रा का नाम	:
पिता/पति का नाम	:
माता का नाम	:
1. मोबाइल एवं दूरभाष नं0	:
2 ईमेल	:
3 वर्ग/जाति/समूह (अनुसूचितजाति/जनजाति)	:
4 धर्म	
5 उपजाति	:
6 हाईस्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक	:
7 बैंक का नाम * (जहाँ छात्र/छात्रा का खाता है)	:
8 ब्रान्च का नाम *	:
9 छात्र/छात्रा का बैंक खाता सं0 पर अंकित नाम *	:
10 आई0एफ0एस0कोड *	:
11 आवासीय/दिवा छात्र—	:
12 पाठ्यक्रम के अनुसार अनुरक्षण भत्ते(छात्रवृत्ति की धनराशि (रु0 में)	:
13 पाठ्यक्रम हेतु सक्षम स्तर से निर्धारित अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबल शुल्क (रु0 में)	:
14 छात्र द्वारा जमा किये गये शुल्क की रसीद संख्या	:
15 दिनांक	:
16 धनराशि (रु0 में)	:
17 गतवर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि	:
क. अनुरक्षण भत्ता (छात्रवृत्ति) रु0 में	:
ख. शुल्क (रु0 में)	:
18 गत वर्ष का परीक्षाफल (उत्तीर्ण/प्रोन्नत/फेल)	:
19 प्राप्तांक	:
20 पूर्णांक	
21 क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में आपका प्रवेश कक्षा 12 के प्राप्तांकों के आधार पर हुआ है (हाँ/नहीं)	:
क. प्राप्तांक	:
ख. पूर्णांक	:
22 वर्तमान शिक्षण सत्र में प्रवेश तिथि	रु
23 शिक्षण संस्थान का नाम	

घोषणा पत्र

- मैं एतद्वारा घोषण करता/करती हूँ कि उपरोक्त प्रविष्टियाँ/सूचनाएं सही हैं व मेरे द्वारा भरी गयी हैं। मुझे किसी अन्य स्रोत से दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है तथा में कहीं भी सेवारत नहीं हूँ। यदि सेवारत हूँ तो मेरी एवं मेरे माता-पिता अथवा संरक्षक कुल वार्षिक आय रु० दो लाख से कम है। मैंने इस संस्था के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं प्रवेश नहीं लिया है। मैं संस्था के शैक्षिक निर्देशों एवं निर्धारित उपस्थिति का समुचित अनुपालन करूँगा।
- आवेदन पत्र में दी गयी कोई सूचना एवं संलग्न आय व जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य अभिलेख गलत पाये जाये तो छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस कर दूँगा/दूँगी। यदि ऐसा करने में मैं असफल होता हूँ तो विभाग मुझे दी गयी उक्त धनराशि राजस्व देय की भाँति वसूली करने हेतु स्वतंत्र होगा।
- कोई अन्य अनियमितता पाये जाने पर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।

माता/पिता का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान.....छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर.....

..
(माता/पिता की मृत्यु की दशा अभिवावक)

नोट: पात्र अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त प्रपत्र पर सूचनाएं भर कर घोषणा पत्र व सभी संलग्नकों सहित आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि तक शिक्षण संस्थान में प्रस्तुत किया जायेगा। जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र पर शिक्षण संस्थान द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।

छात्रों द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के संलग्न किये जाने वाले अनुलग्नकों का विवरण।

- दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन की फीडेड आवेदन पत्र की प्रिन्ट की कॉपी।
- आय प्रमाण की कापी। (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत)
- जाति प्रमाण पत्र। (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत)
- पिछली समस्त योग्यताओं (हाईस्कूल एवं उच्चतर) के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।
- छात्र द्वारा बैंक (नियमावली में परिभाषित) में खोले गये खाते की पासबुक की छायाप्रति। जिस पर छात्र/छात्राएं का नाम व खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड अंकित हो।
- छात्र द्वारा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि की रसीद की सत्यापित प्रति।
- यदि दो कक्षाओं के बीच में गेप हो तो तदआशय का स्वप्रमाणित शपथपत्र।
- यदि छात्र हॉस्टल में आवासित है तो हॉस्टल द्वारा प्रदान की गयी शुल्क की रसीद/प्रमाणपत्र की प्रति।
- छात्र के माता-पिता अथवा अभिवावक का फ़ेश आवेदन के साथ इस आशय स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र की छात्र के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी आय समस्त स्रोतों पर अंकित है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई स्रोत नहीं है।
- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के नवीनीकरण हेतु विगत कक्षा में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्राप्ति रसीद जो शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो की प्रति।

नोट— आवेदक के आवेदन पत्र पर स्कैन फोटो को शिक्षण संस्थान स्तर से प्रमाणित किया जाय।

सामान्य/अन्य पिछड़ा/अल्पसंख्यक वर्ग एवं अनुसूचित/जनजाति छात्र/छात्राओं
(Fresh/Renewal Student) के लिए

(छात्र/छात्रा द्वारा देय घोषणा पत्र रु0 10 के स्टाम्प पेपर पर)

समक्ष

संस्थाध्यक्ष

मैं मो0 खुर्शीद खान पुत्र/पुत्री श्री शाहबुद्दीन खान जो ग्राम बारा मुहल्ला बारा जनपद गाजीपुर जनपद का निवासी हूं निम्नलिखित बयान करता हूं-

1. यह कि मैं ग्राम बारा मुहल्ला बारा तहसील जमानिया जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश को मूल निवासी हूं। (आय/जाति प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)
2. यह कि मैं उत्तर प्रदेश में विनिर्दिष्ट सामान्य/ अल्पसंख्यक/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति का हूं जो भी लागू हो। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है)
3. यह कि मेरे माता—पिता, विधिक अभिभावक के समस्त स्रोतों से आय रूपया दो लाख या इससे कम है। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
4. यह कि सम्प्रति मैं जी0सी0आर0जी0 मेमोरियल ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन बी.टेक. फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग बी.के.टी. लखनऊ शैक्षिक संस्थान के कोर्स बी0टेक0 पाठ्यक्रम में वर्ष 2016–17 में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूं। संस्था अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
5. यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय/बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। (पंजीयन प्रमाणपत्र उपलब्ध होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूंगा।)
6. यह कि मैंने पिछली परीक्षा 2015–16 वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के सन्दर्भ में अलग से घोषणा पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है।
7. यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है।
8. यह कि मेरा बचत खाता संख्या 68741011001326 बैंक बैंक ऑफ इण्डिया के बक्शी का तालाब शाखा में खुला हुआ है।
9. यह कि उक्त संस्था द्वारा मुझे निःशुल्क/सःशुल्क प्रवेश दिया गया है।

उक्त घोषणा पत्र में बिन्दु संख्या 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है।

इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

दिनांक :

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

पता.....

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबन्ध पत्र

(संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु रु0—100/- के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक 11.05.2016 को (1) कु0/श्रीमती/श्री खुशबू जाति चमार निवासी ग्राम/मु0पर्वतपुर तहसील बक्शी का तालाब जिला लखनऊ जिसे एतत्पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवं

(2) निदेशक/कुलसचिव (संस्थाध्यक्ष) पता जी0सी0आर0जी0 मेमोरियल ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन बी.टेक. फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग बी.के.टी. लखनऊ जनपद लखनऊ (जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत हैं) जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे एतत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है के मध्य निष्पादित किया जाता है।

चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है जिसकी पात्रता संबंधी शर्तें आदि उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना (तृतीय संशोधन) नियमावली 2014 में उल्लिखित है। उक्त नियमावली के आलोक में दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करते हैं।

1. द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपने शैक्षिक संस्थान में निःशुल्क प्रदेश उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2014 के अनुपालन में देगा।
2. प्रथम पक्ष सन्दर्भित संस्था में निःशुल्क प्रवेश पाने पर निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र समस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्था में जमा करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा।
3. द्वितीय पक्ष उपर्युक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु वांछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा।
4. प्रथम पक्ष के बैंक खाते में नियमावली के अनुसार देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतम 15 दिन के अन्दर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित कर देगा।
5. प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।
6. प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों से छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।
7. उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति(अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2015 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवदेन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष/संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
नाम.....	नाम.....
पिता/पति का नाम.....	पिता/पति का नाम.....
पता.....	पता.....
साक्षी सं0—1	साक्षी सं0—2
हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
नाम.....	नाम.....
पिता/पति का नाम.....	पिता/पति का नाम.....
पता.....	पता.....

द्वितीय पक्ष

हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
नाम.....	नाम.....
पिता/पति का नाम.....	पिता/पति का नाम.....
पता.....	पता.....

सामान्य/अन्य पिछड़ा/अल्पसंख्यक वर्ग एवं अनुसूचित/जनजाति छात्र/छात्राओं
(Fresh/Renewal Student) के लिए

घोषणा पत्र (रु0 10/- के स्टाम्प पेपर पर)

मैं, खुशबू पुत्र/पुत्री रामनरायन निवासी ग्राम पर्वतपुर घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन किया है जिसके लिए मेरे माता पिता की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है। मेरे माता पिता की कुल वार्षिक आय रु 36000 है। मैंने जी.सी.आर.जी. मेमोरियल ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स, लखनऊ में बी. टेक. पाठ्काल में प्रवेश लिया है। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों का विवरण सत्य एवं सही है। मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। उक्त विवरण में भी किसी भी प्रकार की त्रुटि / गलती पाई जाती है तो उसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा।

दिनांक— 11.05.2016

घोषणाकर्ता

नाम:

पिता का नाम:

पता: